UPFD010004692017

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–7, फिरोजाबाद ।

उपस्थित – **विजय कुमार आजाद**, (एच०जे०एस०)

फौजदारी अपील संख्या– 04/2017

उत्तर प्रदेश सरकार –––––––– **अपीलार्थी/अभियोजन पक्ष।**

बनाम

1– **लोकपाल सिंह** पुत्र स्व० बद्री प्रसाद यादव, निवासी आनन्दनगर थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

2– **जय किशोर गौतम** पुत्र स्व० मंगल सैन गौतम निवासी महरारा थाना सहपऊ, जिला हाथरस। ––––––––**प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण।**

अपराध संख्या– 05/2006
धारा 25/27/30 आयुध अधिनियम
थाना–टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

निर्णय

1– यह अपराधिक अपील उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जनपद फिरोजाबाद द्वारा वाद संख्या– 8523/2012, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम लोकपाल सिंह आदि अन्तर्गत धारा 25/27/30 आयुध अधिनियम थाना–टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2016 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2– संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 28–01–2006 को एस०ओ० कौशल सिंह मय एच०सी०पी० साहब सिंह, का० भुवनेश कुमार, का० दिनेश कुमार, का० सर्वेश कुमार, का० वीरेन्द्र सिह, व का० रामौतार सिंह के साथ थाना हाजा से व हवाले रपट नं० 21 समय 09.15 ए०एम० वास्ते शान्ति व्यवस्था ड्यूटी रेलवे स्टेशन टूण्डला पर रवाना हो कर प्लेटफार्म नं० 3/4 पर आये तथा मय स्टाफ के चैंकिग करते हुए पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे थे कि जब वे लोग पानी की टंकी के पास पहुंचे तो तीन व्यक्ति टूण्डला जंक्शन के बोर्ड के पास खड़े हुए दिखाई दिये जिनके पास दो थैले थे। पुलिस वालों को देख कर ठिठके और तेज

कदमों से पश्चिम की तरफ जाने लगे शक होने पर रूकने को कहा तो नहीं रूके तो एक दम दबिश दे कर घेरघार कर आवश्यक बल प्रयोग करके समय करीब 10.00 ए०एम० पर एक व्यक्ति को मय थैला के प्लेटफार्म नं० 3/4 के अन्त में पश्चिम की तरफ बने टिन शेड के पास पकड़ लिया तथा अन्य दो व्यक्ति अपना एक थैला टिन शेड के पास फैंककर हंगामें का फायदा उठा कर भागने में सफल हो गये। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लोकपाल सिंह यादव पुत्र बद्री प्रसाद यादव निवासी महरारा थाना सहपऊ हाथरस हाल का० 117 पुलिस लाइन बुलन्दशहर बताया। जामातलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में पकड़े मटमैले रंग के चैनदार थेले से एस०एल०आर० के 714 जिन्दा कारतूस बरामद हुए तथा पास में ही थैला छोड़ कर भागे अपने साथी का नाम जय किशोर गौतम पुत्र मंगली गौतम निवासी महरारा थाना सहपऊ हाथरस हाल आरमोरर पुलिस लाइन एटा बताया तथा यह भी बताया कि यह थैला जय किशोर का है जो अपने भांजे नीरज गौतम के साथ भाग गया है। थैले की चैन खोल कर देखा तो इसमें भी कारतूस भरे है जिनकी गिनती की गई तो 303 बोर के 416 कारतूस व उसी थैले में प्लास्टिक की थैली में 120 कारतूस जिन्दा 9 एम०एम० के तथा एक दूसरी पन्नी में AK 47 के 4 कारतूस जिन्दा बरामद हुए। पूछने पर लोकपाल सिंह यादव ने बताया कि इन कारतूसों को हम लोग एटा से लाये हैं तथा कानपुर ले जा रहे हैं। चूंकि अभियुक्तगण का यह फैल धारा 25/27/30 आयुध अधिनियम की हद में पहुंचता हैं, अतः कारण गिरफ्तारी बता कर हिरासत पुलिस लिया गया तथा बरामद कारतूसों को थैलों में रख कर दोनों थैलों को अलग–अलग रख कर सील कर सर्व मुहर करके नमूना मोहर किया गया। फर्द मौके पर ही लिख कर हमराही कर्मचारीगण व अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया व हस्ताक्षर बनवाये गये गिरफ्तारी मीमो अलग से तैयार किया गया।

3– वादी मुकदमा की उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 05/2006 अन्तर्गत धारा 25/27/30 आयुध अधिनियम पंजीकृत हुआ। अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जय किशोर गौतम के विरूद्ध उक्त धाराओं में दिनांक 16–05–2006 को आरोपपत्र प्रेषित किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त नीरज गौतम पर कोई अपराध बनना नहीं पाया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 25–05–2007 को धारा 25/27/30 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

4– वाद संख्या– 8523/2012, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम लोकपाल सिंह आदि अन्तर्गत धारा 25/27/30 आयुध अधिनियम थाना–टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2016 के द्वारा अभियुक्तगण लोकपाल एवं जय किशोर गौतम को

धारा 25/27/30 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया गया जिससे क्षुब्ध होकर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) जनपद फिरोजाबाद द्वारा यह अपील दायर की गई।

5– संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान सी०जे०एम० ने अपने निर्णय आदेश में यह माना है कि अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाते समय विधिक नियमों का पालन नहीं किया गया है तथा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है जो विधिक स्वीकृति की परिभाषा में न आने के कारण दूषित है, यह तर्क बिल्कुल निराधार व मनगढ़त है मनमाना है क्योंकि यदि अभियोजन स्वीकृति दूषित थी तो विद्वान सी०जे०एम० द्वारा प्रकरण का संज्ञान कैसे ले लिया गया। अभियोजन स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गयी है जो विधिक प्रक्रिया द्वारा प्रदान की जाती है जिसका समस्त अभिलेख डी०एम० कार्यालय में होता है। पूर्ण संतुष्टि के बाद ही डी०एम० द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इलाहाबाद क्रिमिनल रिपोर्ट 1969 पेज नं०– 268 पर दी गयी विधि व्यवस्थानुसार डी०एम० द्वारा दी गयी अभियोजन स्वीकृति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह विधि व्यवस्था बहस के दौरान मजिस्ट्रेट को नोट करायी गयी लेकिन विद्वान सी०जे०एम० ने न तो इस पर कोई गौर ही किया है तथा न ही अपने निर्णय में इसका उल्लेख ही किया है। विद्वान न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दोषमुक्ति के आधार में यह कहा गया है कि बरामद कारतूसों का बैलेस्टिक विशेषज्ञ से प्रमाणित नहीं कराया है यह आधार भी विद्वान सी०जे०एम० का बलहीन, मनगढ़न्त एवं आधारहीन है, क्योंकि अभियुक्त के कब्जे से 416 कारतूस 303 बोर, 120 कारतूस 9 एम०एम० 4 कारतूस AK 47 के तथा 714 कारतूस एस०एल०आर० बरामद किये गये। इनको बरामद करने वाले पुलिस दल में एस०ओ० व एच०सी०पी० तथा का० स्तर के लोग थे जो अच्छी तरह से कारतूसों के बारे में ज्ञान रखने वाले थे। इसलिए बरामद कारतूसों का बैलेस्टिक विशेषज्ञ से प्रमाणित न कराया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था भी इसी संदर्भ में हैं–

1– जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य– जे०आई०सी० (1) 1999 पेज नं० 219 (एस०सी०)

2– हरभजन सिंह बनाम पंजाब राज्य– जे०आई०सी० (1) 1999 पेज नं० 253 (एस०सी०)

इन दोनों विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि पुलिस की हथियार व कारतूसों के मामले में विशेषज्ञता सक्षम मानी जायेगी। हथियार व कारतूस चालू हालत में हैं या नहीं पुलिस बताने में सक्षम है इन व्यवस्थाओं में बहस के दौरान विद्वान सी०जे०एम० को नोट कराया गया लेकिन विद्वान सी०जे०एम० ने न तो इन पर गौर

ही किया है तथा न ही निर्णय में इनका उल्लेख किया गया है। दोषमुक्ति का निर्णय मनमाना है एवं विधि सम्मत नहीं है। विद्वान सी०जे०एम० ने अपने दोषमुक्ति के निर्णय में अभियोजन द्वारा घटना को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं माना है जबकि अभियोजन ने तथ्य के घटना के चश्मदीद साक्षी पी०डब्लू० 1 साहब सिंह द्वारा घटना को पूर्ण रूप से साबित किया है तथा बरामद माल कारतूसों को न्यायालय में पेशकर साबित भी कराया है तथा प्रदर्शाकित भी कराया है। जनता के दो गवाह पेश किये गये जिन्होंने अभियोजन की घटना का पूर्ण समर्थन नहीं किया पक्षद्रोही घोषित किये गये जिन्होंने जिरह में स्वीकार किया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी जैसी घटना हुई जो उनकी जानकारी में थी। अभियुक्त पुलिस विभाग में तैनात था जिसके कब्जे से इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद होना गम्भीर घटना है कोई पूर्व रंजिश नहीं पायी गयी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय की कई विधि व्यवस्थायें है कि साक्ष्य को साबित करने के लिए क्वालिटी की आवश्यकता है न की क्वांटिटी की तथा एक साक्षी के बयानों के आधार पर भी सजा हो सकती है। चिमन राम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (एस०सी०) 2000 पेज नं०– 647. विद्वान सी०जे०एम० ने इस केस पर न तो गौर किया न ही अपने निर्णय में इसको अंकित ही किया है।

6– अभियुक्तगण जनपद बुलन्दशहर व एटा पुलिस लाइन में तैनात होना बताया गया है जिनके कब्जे से भारी मात्रा में कारतूस बरामद किये गये जिसको जी०आर०पी० टूण्डला द्वारा टूण्डला रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 3/4 से इनको मय कारतूस के गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा मौके से भाग गया। विवेचना में घटना सही पायी गयी तथा आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोजन ने क्वालिटी साक्ष्य द्वारा अपना केस युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। बरामद माल साबित व प्रदर्शाकित भी कराया है विधिवत् अभियोजन स्वीकृति के आधार पर अभियोजन चलाया गया लेकिन विद्वान सी०जे०एम० ने अभियोजन द्वारा दिये गये साक्ष्य पर गौर नहीं किया है तथा उसका सही मूल्यांकन नहीं किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। न तो उन पर गौर किया है न ही उनका उल्लेख किया है। विद्वान सी०जे०एम० ने मनमाने ढंग से अपने तर्क व आधार प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण की दोषमुक्ति का आदेश पारित किया है जो उचित नहीं है। विधिसम्मत व न्यायसंगत नहीं है। खण्डित होने योग्य है। दोषमुक्ति का आदेश त्रुटिपूर्ण है, विधि विरूद्ध है। अपीलकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्तगण की दोषमुक्ति के निर्णय व आदेश दिनांकित 28–11–2016 को अपास्त करते हुए अभियुक्तगण लोकपाल सिंह व जय किशोर गौतम को दोषसिद्ध कर, पारित आदेश खण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

7– प्रत्यर्थी/अभियुक्तगण द्वारा अवर न्यायालय में प्रस्तुत अपील के विरूद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है केवल मौखिक आपत्ति की है।

8– अपीलार्थी/अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलीय पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है।

9– प्रत्यर्थी/अभियुक्तगण द्वारा अपीलीय पत्रावली में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है।

10– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू० 1 साहब सिंह, पी०डब्लू० 2 मुरारीलाल एवं पी०डब्लू० 3 ओम प्रकाश को परीक्षित कराया गया। अन्य कोई मौखिक साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

11– प्रत्यर्थी/अभियुक्तगण द्वारा अवर न्यायालय में मौखिक साक्ष्य बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

12– अपीलार्थी/अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्था दाखिल की गयी है–

(i) Shailesh kumar Vs The State of Bihar Criminal Revision No. 1175 of 2012 Date. 01–11–2013.

(ii) Jasbir Singh Vs State of Punjab, AIR 1998 SC 1660.

(iii) Moti Vs State of U.P. 2019 (1) JIC 533 (ALL).

(iv) PIR BUX VS STATE. Criminal appeal No. 1133/1975. November 29, 1979.

13– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना तथा अवर न्यायालय एवं अपील पत्रावली का विधि व्यवस्थाओं के आलोक में सम्यक अवलोकन किया ।

14– उपरोक्त साक्ष्य की विवेचन से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना जरूरी है।

15– आयुध अधिनियम 1959 (अध्याय–5–अपराध और शास्तियाँ) की धारा 25– कुछ अपराधों के लिए दण्ड– (1)----

(1–क)– जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या <u>प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को अर्जित करेगा, और अपने कब्जे में रखेगा या लेकर चलेगा,</u> वह कारावास से, जिसकी अवधि <u>पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक</u> की हो सकेगी, दंडनीय होगा और <u>जुर्माने से</u> भी दण्डनीय होगा।

(1–कक)– जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या <u>प्रतिषिद्ध गोलाबारूद</u> का विनिर्माण, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा या उन्हें विक्रय या अंतरण के लिए अभिदर्शित या प्रतिस्थापित करेगा या <u>उन्हें</u>

विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि के लिए अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

16– आयुध अधिनियम 1959 की धारा 27– आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दण्ड, आदि– (1)––––

(2)– जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किन्हीं प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारूद को उपयोग में लायेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

17– आयुध अधिनियम 1959 की धारा 30 अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दण्ड– जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तदधीन बनाये गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड उपबन्धित नहीं है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

–: निष्कर्ष :–

18– प्रस्तुत अपील जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभियुक्तगण लोकपाल सिंह व जयकिशोर गौतम के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 25, 27, 30 आयुध अधिनियम 1959 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद द्वारा फौजदारी वाद संख्या 8523/2012 को अंतिम रूप से निर्णीत करते हुए अपने निर्णय आदेश दिनांक 28–11–2016 से दोषमुक्ति प्रदान कर दी है, के विरूद्ध यह अपील दायर की गयी है।

19– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 28–01–2006 को वादी/एस०ओ० कौशल सिंह अपने साथ हेड०का० पुलिस साहब सिंह व अन्य का० भुवनेश, दिनेश, सर्वेश, वीरेन्द्र व का० रामौतार सिह के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी में रेलवे स्टेशन टूण्डला के प्लेटफार्म संख्या 3/4 पर चैकिंग करते हुए पूरब से पश्चिम पानी की टंकी की तरफ जा रहे थे तो देखा कि टूण्डला जंक्शन बोर्ड के पास तीन व्यक्ति दो थैले लिये खड़े हैं। पुलिस को देखकर वह ठिठके और तेज कदमों से पश्चिम की तरफ जाने लगे। रोका, टोका, जब वह नहीं रूके तो दबिश देकर आवश्यक बल प्रयोग करके घेरघार कर समय 10.00 बजे सुबह पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम लोकपाल सिंह का० 117 पुलिस लाइन बुलन्दशहर बताया। उसके पास से मटमैले चेनदार थैले में 714 जिन्दा कारतूस, एस०एल०आर० के बरामद हुए। अन्य दो व्यक्ति एक थैला टिन सेड के पास फेंककर भाग गये। लोकपाल ने भागे हुए

साथियों का नाम जयकिशौर गौतम आरमोरर पुलिस लाइन एटा व उसका भांजा नीरज गौतम बताया। उस थैले में 303 बोर के 416 जिन्दा कारतूस, प्लास्टिक की थैली में 9 mm के 120 जिन्दा कारतूस तथा दूसरी पन्नी में AK–47 के 4 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। बरामद हुए सभी कारतूस जिन्दा थे कोई भी खोखा बरामद होना नहीं कहा गया। लोकपाल ने बताया कि हम लोग इन कारतूसों को एटा से लाये हैं और कानपुर ले जा रहे हैं। विवेचक ने दौरान विवेचना अभियुक्त नीरज गौतम जो अभियुक्त जयकिशोर गौतम का भांजा है, को घटना के समय अन्यत्र उपस्थित होने के कारण आरोपित नहीं किया है। अभियुक्तगण लोकपाल व जयकिशोर गौतम के विरूद्ध धारा 25, 27, 30 आयुध अधिनियम में विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। अभियुक्तगणों ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत कराई और विचारण की मांग की। उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित होने के उपरान्त अभियोजन ने तथ्य के चक्षुदर्शी साक्षी वादी/एस०ओ० कौशल सिंह को साक्ष्य हेतु आहूत किया परन्तु उनकी मृत्यु होने के कारण वो न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके। एच०सी०पी० साहब सिंह जो वादी के साथ सम्पूर्ण घटना में साथ रहे, ने अभियुक्तगणों से बरामद एस०एल०आर० के 714 जिन्दा कारतूस, 303 बोर के 416 जिन्दा कारतूस, 9 mm के 120 जिन्दा कारतूस तथा AK–47 के 4 जिन्दा कारतूस कुल 1254 कारतूसों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य से साबित किया है जिन पर भौतिक/ वस्तु प्रदर्श डाला गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 साहब सिंह के अतिरिक्त स्वतंत्र साक्षी पी०डब्लू 2 मुरारी लाल एवं साक्षी पी०डब्लू० 3 ओमप्रकाश को अभियोजन ने परीक्षित कराया है। उक्त दोनों साक्षी अभियोजन द्वारा पक्ष द्रोही साक्षी घोषित किये गये। अभियोजन ने अवर न्यायालय में उपरोक्त तीनों साक्षियों के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को, जो घटना के समय वादी के साथ बतौर कांस्टेबल/हमराह मौजूद थे और मामले के विवेचक को भी साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया जो अभियोजन की घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। न्यायालय द्वारा SSP फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी फिरोजाबाद को पत्र दिनांक 29–09–2016 प्रेषित करते हुए (प्रतिलिपियाँ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, महानिदेशक/अपर महानिदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को सूचनार्थ एवं रूचि लेकर न्यायालय में साक्षियों को हाजिर कराना सुनिश्चित करे) कई बार अभियोजन साक्ष्य के लिए अवसर दिया गया। इस प्रकरण में 10 साक्षियों के एन०बी०डब्लू० एवं नोटिस 350 दं०प्र०सं० SSP फिरोजाबाद को अनुपालन हेतु निर्गत किये गये परन्तु अभियोजन अन्य साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराने में असमर्थ रहा। अवर न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था याचिका संख्या 482/378/407 संख्या 2936/2012 आमिर हैदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश के अनुपालन में अभियोजन को कई बार साक्ष्य का

अवसर देने के उपरान्त साक्ष्य समाप्त करके गुण दोष पर निर्णय पारित कर दिया।

20– अवर न्यायालय की पत्रावली में दाखिल केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि केस डायरी के पर्चा संख्या 1 दिनांकित 28–01–2006 को विवेचक ने H.M. 851 अमर सिंह, वादी/थानाध्यक्ष कौशल सिंह का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किया गया। पर्चा संख्या 2 दिनांकित 30–01–2006 को विवेचक ने एच०सी०पी० साहब सिंह, का० दिनेश कुमार, का० राम अवतार सिंह का बयान लिखा। पर्चा संख्या 3 दिनांकित 01–02–2006 में विवेचक ने स्वतंत्र साक्षी वेंण्डर शंकर लाल एवं पूड़ी विक्रेता रामवीर के बयान अंकित किये जिसमें उन्होंने अभियुक्त लोकपाल को पहले से जानना कहा है क्योंकि उसके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। पर्चा संख्या 4 दिनांकित 05–02–2006 में विवेचक ने का० 2182 बी० सिंह, स्वतंत्र साक्षी कुली ऐनुद्दीन, असलम तथा पूड़ी विक्रेता प्रवीन कुमार के बयान अंकित किये जिन्होंने शंकरलाल व रामवीर के बयानों का समर्थन करते हुए लोकपाल को मय कारतूस जी०आर०पी० पुलिस टूण्डला द्वारा गिरफ्तार करना कहा है। पर्चा संख्या 8 दिनांकित 25–02–2006 में विवेचक ने स्वतंत्र साक्षी जगदीश, का० भुवनेश व का० सर्वेश का बयान अंकित किया। पर्चा संख्या 11 दिनांकित 02–03–2006 में विवेचक ने स्वतंत्र साक्षी मुरारी लाल एवं पर्चा संख्या 13 दिनांकित 07–03–2006 में विवेचक ने स्वतंत्र साक्षी ओम प्रकाश के बयान अंकित किये जिन्होंने अपने बयान में कहा कि एक मुल्जिम ने आकर उनसे कहा कि तुम पूड़ी का ठेला लगाते हो, रेलवे पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, हमें छुड़बा दो। सम्पूर्ण केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक ने आठ स्वतंत्र साक्षी व आठ पुलिस कांस्टेबल/अधिकारी का बयान अँकित किया परन्तु अभियोजन द्वारा मात्र एक पुलिस साक्षी साक्ष्य के लिए आहूत किया गया। दो स्वतंत्र साक्षी मुरारी लाल व ओम प्रकाश को साक्ष्य में परीक्षित कराया जिन्होंने गिरफ्तारी होना तो स्वीकार किया परन्तु विवेचक को दिये बयान में कहा कि उक्त घटना उनके सुनने में आई है उन्होंने देखी नहीं है। जबकि न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों को तलब करने के लिए पुलिस महानिदेशक एवं महानिदेशक अभियोजन, एस०एस०पी० फिरोजाबाद व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, फिरोजाबाद को कई पत्र भेजे परन्तु किसी अधिकारी द्वारा पर्याप्त रूचि लेते हुए अभियोजन साक्षी को न्यायालय में परीक्षित कराने हेतु युक्तियुक्त प्रयास नहीं किया।

21– अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत अपील में अन्य आधारों के अतिरिक्त तीन मुख्य आधार लिए हैं जिनके आधार पर उपरोक्त निर्णय की दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जा सकता था जिनका विश्लेषण निम्नवत् हैः–

22– **प्रथम आधार–** ***अभियोजन स्वीकृति को साबित नहीं कराया तथा उसको योजित मानना/विधिक तरीके से देना नहीं मानना–*** अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अवर न्यायालय ने निर्णय में अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते समय विधिक नियमों का पालन करना नहीं कहा है तथा विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना अभियोजन स्वीकृति देना कहा है, सक्षम अधिकारी द्वारा किन–किन अभिलेखों व प्रपत्रों का अवलोकन किया गया, अभियोजन से सम्बन्धित कोई दैनिकी या अभिलेख अभियुक्त के नियोक्ता/अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। किस तिथि को अवलोकन किया और किन अभिलेखों के अवलोकन आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे की अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने का पर्याप्त आधार उपलब्ध है, ऐसा कोई उल्लेख अभियोजन स्वीकृति में नहीं किया गया है। अभियोजन स्वीकृति रूटीन कार्य के रूप में यांत्रिक तरीके से पत्राचार के माध्यम से प्रदान किया जाना प्रदर्शित होता है।

23– अपीलार्थी/अभियोजन पक्ष ने कहा कि यदि अभियोजन स्वीकृति दूषित थी तो विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रकरण का संज्ञान कैसे ले लिया गया जबकि अभियोजन स्वीकृति डी०एम० द्वारा विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करके प्रदान की जाती है जिसका समस्त अभिलेख डी०एम० कार्यालय में होता है। अपील के समर्थन में **इलाहाबाद क्रिमिनल रिपोर्ट 1969 पेज नं०– 268 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद** की विधि व्यवस्था दाखिल की है जिसके अनुसार जिलाधिकारी द्वारा दी गयी अभियोजन स्वीकृति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्तगण लोकपाल सिंह व जयकिशोर गौतम के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने की अनुमति दिनांक 29–03–2006 एवं का० 117 स०पु० लोकपाल सिंह जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध SSP बुलन्दशहर दी गयी अभियोजन स्वीकृति दिनांक 24–03–2006 वैध एवं प्रभावी मानी जायेगी और उक्त अभियोजन स्वीकृति के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचक द्वारा की गयी विवेचना विधितः मानी जायेगी। उपरोक्त विधि व्यवस्थानुसार अभियोजन स्वीकृति को साबित करना आवश्यक नहीं है और वह विधिनुसार दी गयी मानी जायेगी। इसलिए अतः अपीलार्थी द्वारा लिया गया प्रथम आधार पोषणीय एवं संधार्य है।

24– **द्वितीय आधार–** ***कारतूसों को बैलेस्टिक विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित न कराना –*** अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अवर न्यायालय ने निर्णय में यह माना की बरामद कारतूसों को बैलेस्टिक विशेषज्ञ से प्रमाणित नहीं कराया है और यह भी बैलेस्टिक विशेषज्ञ से साबित नहीं किया है कि बरामद माल कारतूस जिन्दा हालत में थे या खाली खोखे थे और इस सम्बन्ध में किसी बैलेस्टिक विशेषज्ञ से प्रमाणपत्र नहीं लिया है।

25– अपीलार्थी/अभियोजन पक्ष ने कहा कि अभियुक्तगणों के कब्जे से एस०एल०आर० के 714 जिन्दा कारतूस, 303 बोर के 416 जिन्दा कारतूस, 9 mm के 120 जिन्दा कारतूस तथा AK–47 के 4 जिन्दा कारतूस कुल 1254 जिन्दा कारतूस बरामद किये। इनको बरामद करने वाले पुलिस दल में एस०ओ० व एच०सी०पी० तथा कांस्टेबल स्तर के लोग थे जो अच्छी तरह से कारतूसों के बारें में ज्ञान रखते थे। इसलिए बरामद कारतूसों का बैलेस्टिक विशेषज्ञ से प्रमाणित न कराये जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा दाखिल विधि व्यवस्थायें इसी संदर्भ में हैं– **जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य– जे०आई०सी० (1) 1999 पेज नं० 219 (एस०सी०) एवं हरभजन सिंह बनाम पंजाब राज्य– जे०आई०सी० (1) 1999 पेज नं० 253 (एस०सी०)**

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न विधि व्यवस्थायें भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू होती हैं–

Maqbool Vs. State of A.P. AIR 2011 **SC** 184– Non sending of weapons of assault, cartridges and pellets to ballistic experts for examination would not be fatal to the case of the prosecution if the ocular testimony is found credible and cogent.

Brij pal vs. State of Delhi Administration, (1996) 2 **SCC** 676– *Police personnel can also be treated as ballistic experts:* Police personnel having certificate of technical competency and armour technical course and also having long experience of inspection, examination and testing of fire arms and ammunition must be held to be an expert in arms u/s 45 of the Evidence Act.

26– ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण लोकपाल सिंह व जयकिशोर गौतम से बरामद एस०एल०आर० के 714 जिन्दा कारतूस, 303 बोर के 416 जिन्दा कारतूस, 9 mm के 120 जिन्दा कारतूस तथा AK–47 के 4 जिन्दा कारतूस कुल 1254 कारतूसों को उपरोक्त विधि व्यवस्थानुसार बैलेस्टिक विशेषज्ञ से प्रमाणित न कराया जाना अभियोजन केस के लिए घातक नहीं है और पुलिस को हथियार व कारतूस के मामले में विशेषज्ञ माना गया है और वह यह बताने में पूर्णतः सक्षम हैं कि हथियार व कारतूस चालू एवं प्रभावी हालत में हैं या नहीं। पी०डब्लू० 1 एच०सी०पी० साहब सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में ये प्रमाणित किया है कि अभियुक्तगण से बरामद समस्त 1254 कारतूस जिन्दा थे, उनमें से कोई भी कारतूस चला हुआ अथवा खोखा कारतूस नहीं था। किसी बैलेस्टिक विशेषज्ञ से उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा लिया गया द्वितीय आधार

पोषणीय एवं संधार्य है।

27– तृतीय आधार– ***घटना को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित ना मानना–*** अभियुक्तगण ने आधार लिया कि अभियोजन ने तथ्य का एक मात्र साक्षी पुलिस का० साहब सिंह को परीक्षित कराया है। शेष दो साक्षी स्वतंत्र साक्षी हैं जिन्होंने ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन ने उन्हें पक्ष द्रोही साक्षी घोषित किया है। पत्रावली में दाखिल साक्ष्य के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषमुक्ति का आदेश विधिनुसार पोषणीय एवं विधिक उपबन्धों के अनुपालन में पारित किया गया है।

28– अपीलार्थी ने कथन किया कि अभियोजन कथानक को चश्मदीद साक्षी पी०डब्लू० 1 साहब सिंह ने घटना को पूर्णतः साबित किया है तथा बरामद माल कारतूसों को न्यायालय में पेश कर साबित कराया गया है और प्रदर्शांकित किया है। जनता के दो गवाह पेश किये जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया परन्तु उन्होंने जिरह में स्वीकार किया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी जैसी घटना हुई थी जो उनकी जानकारी में थी। अभियुक्त पुलिस विभाग में तैनात था जिसके कब्जे से इतनी भारी मात्रा में कारतूस बरामद होना गम्भीर घटना है। अभियुक्तगणों के मध्य कोई पूर्व रंजिश नहीं पाई गयी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **चिमन राम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (एस०सी०) 2000 पेज नं०– 647** विधि व्यवस्था में कहा कि साक्ष्य को साबित करने के लिए क्वालिटी की आवश्यकता होती है न कि क्वांटिटी की तथा एक मात्र साक्षी के बयान के आधार पर भी सजा हो सकती है।

29– इसके अतिरिक्त निम्न विधि व्यवस्थायें भी प्रस्तुत प्रकरण में लागू होती हैं–

–: Sole witness :–

State of Rajasthan vs. Babu Meena, (2013) 4 **SCC** 206 (**Para** 9) It has been held by the Hon'ble Supreme Court that the oral testimony of witnesses can be classified into three categories, namely (**i**) wholly reliable (**ii**) wholly unreliable and (**iii**) neither wholly reliable nor wholly unreliable. In case of wholly reliable testimony of single witness, the conviction can be founded without corroboration.

As per **Sec. 134 of the evidence Act,** no particular number of witnesses is required to prove any fact. Plurality of witnesses in a criminal trial is not the legislative intent. If the testimony of a sole witness is

found reliable on the touchstone of credibility, accused can be convicted on the basis of such sole testimony–––

1. **Veer Singh Vs**. **State of U**.**P**. (2014) 2 **SCC** 455

2. **Avtar Singh Vs**. **State of Haryana**, **AIR** 2013 **SC** 286

3. **Prithipal Singh Vs**. **State of Punjab**, 2012 (76) **ACC** 680 (**SC**)

4. **Jarnail Singh Vs**. **State of Punjab**, 2009 (1) **Supreme** 224

5. **Namdev Vs**. **State of Maharashtra**, 2007 (58) **ACC**414 (**SC**)

30– अभियोजन अपने पक्ष कथन के समर्थन में अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकता है कि वह आरोप पत्र में अंकित समस्त गवाहों में से कुछ साक्षी अथवा सभी साक्षियों को न्यायालय में साक्ष्य हेतु परीक्षित करा सकता है। न्यायालय अभियोजन पक्ष को सभी साक्षियों को परीक्षित कराने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। अभियोजन को यह स्वयं निर्णय लेना है कि वह अपना केस कितने साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्त का दोष संदेह से परे साबित करने में सफल रहेगा। **Rohtas Kumar Vs**. **State of Haryana** 2013 **CrLJ** 3183 (**SC**)– Explaining the provisions of Section 231, 311 CrPC And Section 114 & 134 of the Evidence Act, the Supreme Court had Ruled that prosecution need not examine its all witnesses. Discretion lies with the prosecution whether to tender or not witness to prove its case. Adverse inference against prosecution can be drawn only if withholding of witness was with oblique motive.

(**I**) **Sandeep Vs**. **State of UP**, (2012) 6 **SCC** 107

(**II**) **Hukum Singh and others Vs**. **State of Rajasthan** 2001 **CrLJ** 511 (**SC**) Under Sec. 226 Cr.P.C. the public prosecutor has to state what evidence he proposes to adduce for proving the guilt of the accused. If he knew at that stage itself that certain persons cited by the investigating agency as witnesses might not support the prosecution case he is at liberty to state before the court that fact. Alternatively, he can wait further and obtain

direct information about the version which any particular witness might speak in Court.

Public prosecutor would be in a position to take a decision as to which among the persons cited are to be examined. If there are too many witnesses on the same point the public prosecutor is at liberty to choose two or some among them alone so that the time of the Court can be saved from repetitious depositions on the same factual aspects.

–: **Police witness** :–

31– अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये एक मात्र पुलिस कांस्टेबल की साक्ष्य को मात्र इस आधार पर अविश्वस्नीय नहीं माना जायेगा कि वह पुलिस कांस्टेबल है जो पुलिस का गवाह है। इस संदर्भ में निम्न विधि व्यवस्था लागू होती है–

(**i**) **Pramod Kumar Vs**. **State** (**GNCT**) **of Delhi**, **AIR** 2013 **SC** 3344

(**ii**) **Govindaraju alias Govinda Vs**. **State of Shri Ramaparam P**.**S**. **and Another**, **AIR** 2012 **SC** 1292– The testimony of police personnel should be treated in the same manner as testimony of any other witness. There is no principle of law that without corroboration by independent witnesses, the testimony of police personnel cannot be relied on. The presumption that a person acts honestly applies as much in favour of a police presonnel as of other persons and it is not a proper judicial approach to distrust and suspect them without good reasons. Statement of police Officer can be relied upon and even form basis of conviction when it is reliable, trustworthy and preferably corroborated by other evidence on record.

32– किसी केस में माल बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है केवल पुलिस अधिकारी/कर्मचारी ही माल बरामदगी के साक्षी हैं तो इस आधार पर उन पुलिस साक्षियों की साक्ष्य अविश्वस्नीय नहीं मानी जायेगी। **Sandeep Vs**. **State of UP**, (2012) 6 **SCC** 107 & **Tejpal Vs**. **State of U**.**P**. 2005(53) **ACC** 319 (**Allahabad D**.**B**.) Evidence of Police Officer as witness to recovery not to be ordinarily

disbelieved. Seizure memo need not be attested by any independent witness and the evidence of police officer regarding recovery at the instance of the accused should ordinarily be believed.

ऐसी स्थिति में अभियुक्त पक्ष द्वारा दाखिल विधि व्यवस्था– Shailesh kumar Vs The State of Bihar Criminal Revision No. 1175 of 2012 Date. 01–11–2013 लागू नहीं होती है।

–: विवेचक परीक्षित न कराना :–

33– प्रस्तुत मामले में विवेचक को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न विधि व्यवस्थाओं में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि विवेचक को परीक्षित नहीं कराया गया है तो वह अभियोजन के लिए घातक नहीं होगा। **Raj Kishore Jha Vs. State of Bihar**, 2003 (47) **ACC** 1068 (**SC**) & **Ambika Prasad Vs. State of Delhi Administration**, **J.T**. 2000(1) **SC** 273– If the presence of the eye–witnesses on the spot is proved and the guilt of the accused is also proved by their trustworthy testimony, non–examination of I.O.would not be fatal to the case of prosecution.

–: अपूर्ण एवं दोषपूर्ण विवेचना :–

34– यदि विवेचक द्वारा विवेचना अपूर्ण अथवा दूषित प्रकार से की गई है और अभियोजन कथानक अन्य साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध साबित हो रहा है तो विवेचक द्वारा की गई अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियुक्त की दोषमुक्ति नहीं की जा सकती। अभियुक्त पक्ष द्वारा दाखिल विधि व्यवस्था– Moti Vs State of U.P. 2019 (1) JIC 533 (ALL) इस संदर्भ में लागू नहीं होती है क्योंकि केस अन्यथा साबित है और अभियुक्त को तकनीकी त्रुटि के आधार पर अवमुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है जबकि अभिजोयन द्वारा केस पूर्णतः साबित किया गया है। तकनीकी आधार प्रक्रियात्मक त्रुटि पाये जाने पर भी अभियुक्त पक्ष उसका लाभ प्राप्त करके स्वयं को न्यायालय से दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना नहीं कर सकता है जबकि उसके विरूद्ध अभियोजन अपना केस दाखिल साक्ष्य के आधार पर संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। **Hema Vs. State**, 2013 (81) **ACC** 1 (**SC**) (**Three Judge Bench**) & **C. Muniappan Vs. State of TN**, 2010 (6) **SCJ** 822– Any irregularity or deficiency in investigation by I.O. need not

necessarily lead to rejection of the case of prosecution when it is otherwise proved. A defective investigation cannot be fatal to prosecution where ocular testimony is found credible and cogent:

35– अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम दोनों अभियुक्तगण पुलिस कर्मी/सरकारी सेवक है। अभियुक्त लोकपाल सिंह का नियुक्तस्थल बुलन्दशहर जबकि जयकिशोर गौतम जो पुलिस लाइन एटा में आरमोरर थे और पुलिस लाइन एटा में नियुक्त थे। दोनों अभियुक्तगण एक साथ प्लेटफार्म संख्या 3/4 रेलवे स्टेशन टूण्डला पर क्या कर रहे थे और उनके कब्जे में इतनी भारी संख्या में 1254 प्रतिषिद्ध कारतूस बिना किसी अनुज्ञप्ति के कैसे मौजूद थे और कहा से प्राप्त हुए जबकि उक्त कारतूस प्रतिषिद्ध होने के कारण खुले बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं हैं। इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने का भार अभियुक्तपक्ष पर था जिसे वह साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

36– अभियुक्त जयकिशोर गौतम ने यह तर्क लिया कि वह घटना में शामिल नहीं था। उसे लोकपाल ने दुश्मनीवश झूठा फंसाने के लिए उसका नाम ले लिया। अभियुक्त जयकिशोर ने अपने तर्क के समर्थन में लोकपाल के विरूद्ध चलने वाले किसी सिविल अथवा फौजदारी मुकदमे के प्रपत्र पत्रावली में दाखिल नहीं किये हैं। खेत खलिहान व मारपीट व अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होना साबित नहीं किया है। एक ही गाँव के अथवा पड़ोसी होना भी नहीं कहा है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते कोई जाँच पड़ताल लोकपाल सिंह द्वारा जयकिशोर गौतम के विरूद्ध प्रारम्भ कराई गयी हो, ऐसा कोई प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। अभियुक्तगण जयकिशोर गौतम एवं लोकपाल सिंह उक्त घटना के समय व दिनांक को कहीं और उपस्थित थे, घटना स्थल पर नहीं था इस आशय का कोई प्रमाण पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। अभियुक्त लोकपाल सिंह को मौके पर वादी/एस०ओ० व अन्य पुलिस कांस्टेबल द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार किया गया उसके बावजूद अभियुक्त लोकपाल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में असत्य कहा कि मैं कभी कथित कारतूसों के साथ नहीं पकड़ा गया, मेरे विरूद्ध कथित अभियोजन स्वीकृति फर्जी है कथित घटना झूठी व मनगढ़त है। विभागीय द्वेष एवं रंजिश से झूंठा मुकदमा चलाना कहा है परन्तु इस तथ्य को अभियुक्त अपने पक्ष में साबित नहीं कर सका है।

37– अभियुक्त लोकपाल सिंह से मौके पर 1254 कारतूसों की बरामदगी की फर्द थानाध्यक्ष कौशल सिंह द्वारा बनाई गई थी और उक्त कारतूसों को नमूने के साथ मौके पर ही सील व सर्व मोहर एच०सी०पी० साहब सिंह द्वारा स्वयं किया गया जिसको उन्होंने वादी/एस०ओ० कौशल सिंह की मृत्यु होने के कारण अपनी मौखिक

साक्ष्य से समर्थित किया। फर्द बरामदगी पर एस०ओ०कौशल सिंह मय एच०सी०पी० साहब सिंह, का० भुवनेश कुमार, का० दिनेश कुमार, का० सर्वेश कुमार, का० वीरेन्द्र सिह, का० रामौतार सिंह के हस्ताक्षर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पक्ष द्वारा दाखिल विधि व्यवस्था– Jasbir Singh Vs State of Punjab, AIR 1998 SC 1660 लागू नहीं होती है।

38– तत्कालीन आरक्षी/आरमोरर जयकिशोर गौतम जो प्रस्तुत मामले के अभियुक्त हैं, के विरूद्ध पूर्व में भी वर्ष 2003 में पुलिस लाइन्स एटा आरमरी में नियुक्त आरक्षी/आरमोरर बृजेश कुमार दीक्षित के पास से कारतूस कोतवाली पुलिस मैनपुरी द्वारा पकड़े गये थे जिसमें आरक्षी/आरमोरर जयकिशोर गौतम का नाम प्रकाश में आया था लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। यह तथ्य एस०एस०पी० एटा द्वारा जारी आदेश दिनांक 06–02–2006, जिसकी असल प्रति पत्रावली में दाखिल है, में अंकित है। इसी आदेश के माध्यम से आरक्षी/आरमोरर जयकिशोर गौतम को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 8(2)(ख) के अन्तर्गत पुलिस सेवा से पदच्युत किया गया है। उक्त तथ्य अभियुक्त आरक्षी/आरमोरर जयकिशोर गौतम के द्वेषपूर्ण आचरण को समर्थित करता है।

39– यहाँ पर यह उल्लेखित कर देना भी समीचीन होगा कि अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की गई थी और दोनों अभियुक्तों की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्वीकार की गई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 4739/2006 में पारित आदेश दिनांक 09–03–2006 द्वारा एस०एस०पी० एटा की रिपोर्ट के आधार पर जयकिशोर गौतम को मुख्य अभियुक्त माना है। यह वहीं अभियुक्त जयकिशोर गौतम है जो घटना के समय रेलवे स्टेशन टूण्डला से अपने भांजे नीरज गौतम के साथ भाग गया था और सिपाहियों ने इसे पकड़ने का प्रयास किया था परन्तु यह पकड़ा नहीं जा सका था, भाग गया था। उस समय एच०सी०पी० साहब सिंह ने अभियुक्त लोकपाल सिंह को पकड़ रखा था।

40– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया गया है कि वादी/थानाध्यक्ष व अन्य सिपाहियों द्वारा अभियुक्त लोकपाल को गिरफ्तार करने से पूर्व अपनी जामातलाशी नहीं ली गयी और लोकपाल के ऊपर फर्जी कारतूस आरोपित कर दिये हैं। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू० 1 साहब सिंह ने कहा कि तीन व्यक्ति प्लेटफार्म संख्या 3/4 टूण्डला जंक्सन बोर्ड के नीचे दो थैले लिए खड़े थे और उन्हें देखकर ठिठक गये थे और अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर पश्चिम दिशा की ओर तेज कदमों से चलने लगे थे। अभियुक्त लोकपाल सिंह को आवश्यक बल प्रयोग कर, घेरघार कर, दौड़ाकर तुरन्त मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था। शेष दो अभियुक्त

हंगामें का फायदा उठाकर भाग गये थे। किसी मुखविर से अभियुक्तगणों के वहाँ उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी जो पूर्व जामातलाशी लेकर अभियुक्त को गिरफ्तार करते। ऐसी स्थिति में जमातलाशी लिये जाने का कोई ओचित्य एवं समय नहीं था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त पक्ष द्वारा दाखिल विधि व्यवस्था– PIR BUX VS STATE. Criminal appeal No. 1133/1975. November 29, 1979 लागू नहीं होती है। अतः यह तर्क बलहीन है।

41– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क लिया गया है कि जिरह के समय न्यायालय में माल कोर्ट में मौजूद नहीं था। माल मुकदमाती न्यायालय में साबित नहीं कराया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 एच०सी०पी० साहब सिंह ने न्यायालय में दिनांक 06–08–2008 को न्यायालय की अनुमति से खुले न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी की मौजूदगी में सील बन्द पोटली खोलकर अभियुक्त से बरामद 1254 जिन्दा कारतूसों को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। सभी कारतूसों पर वस्तु प्रदर्श डाला गया और अभियोजन के प्रार्थना पर मुख्य परीक्षा जारी की गयी। दिनांक 21–10–2016 को साक्षी एच०सी०पी० साहब सिंह से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी है। उस दिन मालमुकदमाती न्यायालय में मौजूद होने से साक्षी ने इंकार किया है। माल की अनुपस्थिति के आधार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से जिरह करने से इंकार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि माल न्यायालय में साबित होने के लगभग आठ वर्ष उपरान्त साक्षी से जिरह करने के दौरान अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माल को लेकर कोई आपत्ति ना करना मालमुकदमाती के अस्तित्व को स्वीकार करने के समान है। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क बलहीन है।

42– उपरोक्त विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28–11–2016 अपास्त करते हुए अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम को दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। तदनुसार अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

43– जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जनपद फिरोजाबाद द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 04/2017, वाद संख्या– 8523/2012, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम लोकपाल सिंह आदि अन्तर्गत धारा 25/27/30 आयुध अधिनियम थाना–टूण्डला, जिला फिरोजाबाद स्वीकार की जाती है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28–11–2016 अपास्त किया जाता है। अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम को अपराध धारा 25,

27, 30 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

44– दोषसिद्ध **अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम** को सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम जमानत पर है, उनके जमानतनामें एवं बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(विजय कुमार आजाद)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–7, फिरोजाबाद।

दिनांक 26–02–2021

45– दण्ड के परिमाण पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

46– दोषसिद्ध अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम निर्दोष हैं, इनके छोटे–छोटे बच्चे हैं, कम से कम सजा से दण्डित किया जाये। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दे दिया जाये।

47– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना सुबह 10.00 बजे टूण्डला रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 3/4 की है। अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम से G.R.P. Police दल द्वारा भारी मात्रा में 1254 प्रतिषिद्ध बोर के जिन्दा कारतूस बरामद किये गये हैं। अभियुक्तगण सरकारी कर्मचारी व पुलिस कांस्टेबल हैं। इनके द्वारा गंभीर एवं अजमानतीय अपराध किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

48– दोषसिद्ध अभियुक्तगण **लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम** प्रत्येक को **धारा 25 आयुध अधिनियम** के अपराध के लिए **दस वर्ष (10 year) का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये (मु० 10,000/– रूपये) जुर्माने** से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

49– दोषसिद्ध अभियुक्तगण **लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम** प्रत्येक को **धारा 27 आयुध अधिनियम** के अपराध के लिए **सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं सात हजार रूपये (मु० 7,000/– रूपये) जुर्माने** से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

50– दोषसिद्ध अभियुक्तगण **लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम** प्रत्येक को **धारा 30 आयुध अधिनियम** के अपराध के **लिए छः माह का साधारण कारावास एवं दो हजार रूपये (मु० 2,000/– रूपये) जुर्माने** से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

51– सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

52– अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम द्वारा जेल में बितायी गयी पूर्व अवधि उनकी सजा में समायोजित की जायेगी।

53– अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम का सजायवी वारण्ट बनाये जाने एवं सजा भुगतने के लिए पत्रावली मय अभियुक्तगण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के न्यायालय में तत्काल प्रेषित की जाये। अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम को श्री जगदीश सिंह, कोर्टमोर्हर पर्याप्त सुरक्षा में तथा श्री नईम अहमद, सत्र लिपिक के साथ पत्रावली आदेश अनुपालन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

54– बरामद माल 1254 जिन्दा कारतूस अपील की समयावधि के उपरान्त नियमानुसार सरकार के पक्ष में जब्त किये जायेंगे।

55– अभियुक्तगण लोकपाल सिंह एवं जयकिशोर गौतम को इस निर्णय की एक–एक प्रति तत्काल निशुल्क प्रदान की जाये।

56– इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

(विजय कुमार आजाद)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०–7, फिरोजाबाद

दिनांक 26–02–2021

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(विजय कुमार आजाद)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं०–7, फिरोजाबाद

दिनांक 26–02–2021